



सत्यमेव जयते

Web Copy

डिक्री वमुकददमें इत्दादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 312/2018

दायर दिनांक 07.09.2018

वादी	प्रतिवादी
1. रामनिवास पुत्र सुरजाराम, उम्र-50साल, जाति-जाट, निवासी-पायली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भागूराम पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 2. मनोजकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविन्दराम, 3. राकेशकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविन्दराम, 4. सुनिता पुत्री स्वर्गीय गोविन्दराम, 5. प्रियंका पुत्री स्वर्गीय गोविन्दराम, 6. पत्तासीदेवी पत्नी स्वर्गीय गोविन्दराम, 7. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 8. गोपालराम पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 9. गंगादेवी पत्नी स्वर्गीय गोरधनराम, 10. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 11. मनोहरी पुत्री झूमरसिंह, 12. हितेश पुत्र झूमरसिंह, उम्र 11 साल 13. नितेश पुत्र झूमरसिंह, उम्र 05 साल 14. कानी पत्नी सुरजाराम, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के संरक्षक माता मनोहरी पत्नी झूमरसिंह, समस्त, जाति-जाट, निवासी-पायली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. थार ग्रामीण बैंक, शाखा-नूँवा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
बनाम्	

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 04.02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी  
मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी एवं श्री मो0 रफीक,  
वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 की ओर से  
मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद  
पायली में खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 0.10 बीघा, खसरा सं0 128 रकबा 36.19 बीघा  
व खसरा सं0 117 रकबा 35.10 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा  
कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 312/2018  
दायर दिनांक 07.09.2018, निर्णय दिनांक 04.02.2020  
रामनिवास बनाम् भागूराम, वगैरा।

—: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 04.02.2020

सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 0.10 बीघा, खसरा सं० 128 रकबा 36.19 बीघा व खसरा सं० 117 रकबा 35.10 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 19.12.2018 को तहसीलदार डीडवाना निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 0.10 बीघा, खसरा सं० 128 रकबा 36.19 बीघा व खसरा सं० 117 रकबा 35.10 बीघा भूमि का "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(अंशुल सिंह)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीसहायक कलक्टर  
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(अंशुल सिंह)  
सहायक कलक्टर  
डीसहायक कलक्टर  
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 312/2018

दायर दिनांक 07.09.2018


वादी	प्रतिवादी
1. रामनिवास पुत्र सुरजाराम, उम्र-50साल, जाति-जाट, निवासी-पायली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. भागूराम पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 2. मनोजकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविन्दराम, 3. राकेशकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविन्दराम, 4. सुनिता पुत्री स्वर्गीय गोविन्दराम, 5. प्रियंका पुत्री स्वर्गीय गोविन्दराम, 6. पतासीदेवी पत्नी स्वर्गीय गोविन्दराम, 7. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 8. गोपालराम पुत्र स्वर्गीय गोरधनराम, 9. गंगादेवी पत्नी स्वर्गीय गोरधनराम, 10. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 11. मनोहरी पत्नी झूमरसिंह, 12. हितेश पुत्र झूमरसिंह, उम्र 11 साल 13. नितेश पुत्र झूमरसिंह, उम्र 05 साल 14. कानी पत्नी सुरजाराम, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के संरक्षक माता मनोहरी पत्नी झूमरसिंह, समस्त, जाति-जाट, निवासी-पायली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. थार ग्रामीण बैंक, शाखा-नूँवा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मोहम्मद शरीफ, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09,  
10, 11, 14 की ओर से।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

जरिये पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1533 दिनांक 17.05.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
 ...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।  
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना  
 (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना  
 (नागौर)

